(न्याय विभाग)

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 1999

सा.का.नि. 30 :—भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में राष्ट्रपति एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश करते हैं अर्थात् :—

कि आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री मनमोहन सिंह लिब्रहान, आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवा अवधि के दौरान अपने वेतन के अतिरिक्त 3000 रु. (केवल तीन हजार रुपये) प्रति माह की दर से प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे।

[सं. के.-11017/1/98 यू. एस. II]
श्रीमती वीना ब्रह्मा, निदेशक (न्याय)

(Department of Justice)

New Delhi, the 12th January, 1999

G.S.R. 30.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order, namely :—

That Shri Justice Man Mohan Singh Liberhan, Chief Justice of the Andhra Pradesh High Court, shall be entitled to receive in addition to his salary, a compensatory allowance of Rs. 3000 (Rupees three thousand) per month, for the period of his service as Chief Justice of the Andhra Pradesh High Court.

[No. K-11017/1/98-US-II]
SMT. VEENA BRAHMA, Director (Justice)

---

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग)

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 1999

सा०का०नि० 31:—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग में आंकड़ा प्रविष्टि प्रचालक श्रेणी 'क' के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग आंकड़ा प्रविष्टि प्रचालक श्रेणी 'क' भर्ती नियम 1999 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वही होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट है।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| आंकड़ा प्रविष्टि प्रचालक श्रेणी 'क' | 03* (तीन) (1999) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है । | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय | 4000-100-6000 रु० |

| चयन-सह-ज्येष्ठता या योग्यता के आधार पर चयन अथवा अचयन | सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं | सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा |
|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 |
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | 25 वर्ष<br>(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 45 वर्ष तक की जा सकती है ।)<br>टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (सिवाय वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी है ।) |

| सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो |
|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 |
| (क) 12 वां स्तर उत्तीर्ण या समतुल्य<br>(ख) आंकड़ा प्रविष्टि कार्य के लिए प्रति घंटा कम से कम 8000 कुंजी अवनमन की गति होनी चाहिए ।<br>टिप्पण 1 : अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । | लागू नहीं होता | दो वर्ष |

8

टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए अपेक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

टिप्पण 3 : आंकड़ा प्रविष्टि कार्य के लिए प्रति घंटा 8000 कुंजी अवनमन की गति का निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा ई०डी०पी० मशीनों पर गति-परीक्षण का संचालन करके किया जाएगा।

| भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता | प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा |
|---|---|
| 11 | 12 |
| सीधी भर्ती<br>टिप्पण : पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर या लम्बी छुट्टी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियों केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किये हुए हैं और जिनके पास स्तम्भ 8 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं हैं। | लागू नहीं होता |

| यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
|---|---|
| 13 | 14 |
| समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति :<br>निदेशक (प्रशासन)—अध्यक्ष<br>अवर सचिव (प्रशासन)—सदस्य<br>अवर सचिव, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग—सदस्य (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व करने वाला)<br>अवर सचिव (प्रशासन) भारी उद्योग विभाग—सदस्य | लागू नहीं होता |

[सं० ए-12018(9)/98-ई-II]
एं०जी० शशि कुमार, अवर सचिव

59



## MINISTRY OF INDUSTRY

### (Department of Industrial Policy & Promotion)

New Delhi, the 21st January, 1999

G.S.R. 31.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Data Entry Operator Grade 'A' in the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Industry, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Department of Industrial Policy and Promotion Data Entry Operator Grade 'A', Recruitment Rules, 1999.

(2) They shall come into force from the date of their publicaton in the Official Gazette.

2. Number, classification and scale of pay.—The number of post, its classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in column 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and qualifications etc.—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 14 of the Schedule aforesaid.

4. Disqualification.—No person;

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the post.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall effect reservations and other concessions required to the provided for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

| Name of the Post | Number of Posts | Classification | Scale of pay |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Data Entry Operator Grade 'A' | *03 (Three) 1999 *Subject to variation depending upon workload | General Central Service, (Group 'C') Non-Gazetted, Non-Ministerial. | Rs. 4000-100-6000 |

| Whether selection cum seniority or selection by merit | Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (pension) Rules 1972 | Age limit in the case of direct recruit |
|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 |
| Not applicable | Not applicable. | 25 years, relaxable upto 40 years upto 45 years in respect of SC/ST candidates in case of Government Servants in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.<br>NOTE : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India except for those in Assam, Mizoram, Manipur, Nagaland, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Tripura, Sikkim Ladakh Division of J & K State, Lahaul & Spiti District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep). |

| Educational and other qualifications required for direct recruits | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation if any | Method of recruitment whether by direct recruitment or by Promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods |
|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 |
| (a) 12th Standard pass or equivalent.<br>(b) should possess a speed of not less than 8000 Key Depressions per hour for Data Entry Work.<br>NOTE 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in case of candidates, otherwise well qualified.<br>NOTE 2 : The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Competent Authority in case of candidates belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up vacancies reserved for them.<br>NOTE 3 : The speed of 8000 Key Depressions per hour for Data Entry Work is to be judged by conducting a speed test on the EDP Machine(s) by the Competent Authority. | Not applicable | Two years | Direct recruitment<br>NOTE: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long leave or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled, on deputation from the officials of the Central Government holding analogous posts on regular basis and possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column 8. |

| In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made | If a Departmental Promotion Committee exists, what is the composition | Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment |
|---|---|---|
| 12 | 13 | 14 |
| Not applicable. | Group 'C' Departmental Promotion Committee :<br>Director (Administration)—Chairman<br>Under Secretary (Administration)—Member<br>Under Secretary, Department of Industrial Policy & Promotion—Member<br>(Representing Schedule Caste/Schedule Tribe)<br>Under Secretary (Administration)—Member.- Department of Heavy Industry | Not applicable. |

[No. A-12018(9)/98-E-II]
A. V. SASI KUMAR, Under Scy.

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 1999

सा० का० नि० 32:—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग में आंकड़ा प्रविष्टि प्रचालक श्रेणी 'ख' के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग आंकड़ा प्रविष्टि प्रचालक श्रेणी 'ख' भर्ती नियम, 1999 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वही होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हताएं: वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| आंकड़ा प्रविष्टि प्रचालक श्रेणी 'ख' | 06*<br>(छह) (1999)<br><br>*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय | 4500-125-7000 रु० |

| चयन-सह-ज्येष्ठता या योग्यता के आधार पर चयन अथवा अचयन | सेवा में जोड़े गये वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं | सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा |
|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 |
| अचयन | लागू नहीं होता | 25 वर्ष<br>[केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए शिथिल करके 45 वर्ष तक) की जा सकती है ।]<br>टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अन्तिम तारीख होगी । (सिवाय वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी है ।) |

| सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं । | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो । |
|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 |
| (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समतुल्य,<br>(2) इलेक्ट्रानिकी विभाग के मानकों के अनुसार किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर उपयोजन/कार्यक्रमण में डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र<br>(3) आंकड़ा प्रविष्टि कार्य के लिए प्रति घंटा कम से कम 8000 कुंजी अवनमन की गति होनी चाहिए ।<br>टिप्पण 1 : ऐसे व्यक्तियों को अधिमानता दी जाएगी जिनके पास विज्ञान, गणित, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी या कम्प्यूटर उपयोजन में डिग्री है ।<br>टिप्पण 2 : अर्हताएं अथवा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है ।<br>टिप्पण 3 : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए अपेक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है ।<br>टिप्पण 4 : आंकड़ा प्रविष्टि कार्य के लिए प्रति घंटा 8000 कुंजी अवनमन की गति का निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा ई०डी०पी० मशीनों पर गति परीक्षण का संचालन करके किया जाएगा । | लागू नहीं होता | सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष । प्रोन्नत किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए कुछ नहीं । |

63



| भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता | प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा |
|---|---|
| 11 | 12 |
| भर्ती की निम्नलिखित पद्धतियों में से कोई एक पद्धति :<br>(i) प्रोन्नति, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा<br>(ii) सीधी भर्ती<br>(iii) 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा । | प्रोन्नति :<br>ऐसा आंकड़ा प्रविष्टि प्रचालक श्रेणी 'क' जिसने उस श्रेणी में छह वर्ष नियमित सेवा की है ।<br>प्रतिनियुक्ति :<br>(क) केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी :—<br>(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किये हुए हैं, या<br>(ii) जिन्होंने 4000—6000/रु० के वेतनमान वाले पदों पर तीन वर्ष नियमित सेवा की है, या<br>(iii) जिन्होंने 3050—4590/रु० या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 6/8 वर्ष नियमित सेवा की है, और<br>(ख) जिनके पास स्तम्भ 8 के अधीन सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव हैं ।<br>(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।) |

| यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
|---|---|
| 13 | 14 |
| समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति :<br>निदेशक (प्रशासन)—अध्यक्ष<br>अवर सचिव (प्रशासन)—सदस्य<br>अवर सचिव, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग—सदस्य<br>(अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व करने वाला)<br>अवर सचिव (प्रशासन)<br>भारी उद्योग विभाग—सदस्य | लागू नहीं होता |

[सं० ए-12018(9)/98-ई-II]

ए० वी० मणि कुमार, अवर सचिव

| Educational and other qualifications required for direct recruits | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation if any | Method of recruitment whether by direct recruitment or by Promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods |
|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 |
| (1) Degree of a recognised University or equivalent,<br>(2) Diploma/Certificate in Computer Application/Programming from a recognised institute as per Deptt. of Electronics norms or from a recognised University.<br>(3) Should possess a speed of not less than 8000 Key Depressions per hour, for Data Entry Work.<br><br>NOTE 1 : Preference will be given to those who possess degree with Science, Mathematics, Commerce, Economics, Statistics or Computer application.<br><br>NOTE 2 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in case of candidates otherwise well qualified.<br><br>NOTE 3 : The qualification(s) regarding experience is /are relaxable at the discretion of the Competent Authority in case of candidates belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes if, at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not liekly to be available to fill up the vacancies reserved for them.<br><br>NOTE 4 : The speed of 8000 Key Depressions per hour for Data Entry Work is to be judged by conducting a speed test on the EDP Machine(s), by the Competent Authority. | Not applicable | Two years for direct recruits, Nil for promotees | Any of the following methods of recruitment:<br>(i) Promotion, failling which by deputation.<br>(ii) Direct Rectt.<br>(iii) 50 percent by promotion failing which by deputation and 50 percent by direct recruitment. |

66



| In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made | If a Departmental Promotion Committee exists, what is the composition | Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment |
|---|---|---|
| 12 | 13 | 14 |
| Promotion : Data Entry Operator Grade 'A' with six years, regular service in the grade.<br>Deputation :<br>(a) Officers of the Central Government,<br>(i) Holding analogous posts on regular basis ;<br>(ii) With three years regular service in posts in the scale of Rs. 4000—6000; or<br>(iii) With 6/8 years regular service in posts in the scale of Rs. 3050—4590 or equivalent; and<br>(b) Possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 8, (The period of deputation including the period of deputation in another excadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years). | Group 'C' Departmental Promotion Committee :<br>Director (Administration)—Chairman<br>Under Secretary (Administration)—Member<br>Under Secretary, Department of Industrial Policy & Promotion—Member.<br>(Representing Schedule Caste/Schedule Tribe)<br>Under Secretary (Administration) Department of Heavy Industry—Member | Not applicable. |

[No. A-12018(9)/98-E-II]
A. V. SASI KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 1999

सा. का. नि. 33 —राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में आंकड़ा प्रविष्टि प्रचालक श्रेणी "ग" के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग आंकड़ा प्रविष्टि प्रचालक श्रेणी "ग" भर्ती नियम, 1999 है

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वही होगा जो इन नियमों में उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि :—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता :—वह व्यक्ति :—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं ; विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है ;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकारी का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | चयन-सह-ज्येष्ठता या योग्यता के आधार पर चयन अथवा अचयन | सेवा में जोड़े गये वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं | सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| आंकड़ा प्रविष्टि प्रचालक श्रेणी "ग" | 2* (दो) 1999 *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग" अराजपत्रित अननुसचिवीय | 5000-150-8000/-रु. | अचयन | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |

| सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो। |
|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 |
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |

| भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता। | प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा। |
|---|---|
| 11 | 12 |
| प्रोन्नति, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा | प्रोन्नति :—ऐसा आंकड़ा प्रविष्टि प्रचालक श्रेणी "ख" जिसने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है।<br>प्रतिनियुक्ति —<br>(क) केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी<br>(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किये हुए हैं; या<br>(ii) जिन्होंने 4000-100-6000/- रु. (पुनरीक्षित) के वेतनमान वाले पदों पर तीन वर्ष नियमित सेवा की है; या<br>(iii) जिन्होंने 3050-4590/- रु. ( पुनरीक्षित ) के वेतनमान वाले पदों पर छह वर्ष नियमित सेवा की है।<br>(ख) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री या समतुल्य हो और आंकड़ा प्रविष्टिया कार्य के लिए प्रति घंटा कम से कम 8000 कुंजी अवनमन की गति हो।<br>टिप्पण :—आंकड़ा प्रविष्टि कार्य के लिए प्रति घंटा 8000 कुंजी अवनमन की गति का निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा ई. डी. पी. मशीनों पर गति परीक्षण का संचालन करके किया जाएगा।<br>(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।) |

| यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा। |
|---|---|
| 13 | 14 |
| समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति --<br>निदेशक ( प्रशासन ) ---अध्यक्ष<br>अवर सचिव ( प्रशासन ) ---सदस्य<br>अवर सचिव, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग ---सदस्य<br>( अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व करने वाला )<br>अवर सचिव (प्रशासन) ---सदस्य<br>भारी उद्योग विभाग | लागू नहीं होता |

[सं. ए.-12018 (9)/98-ई.-II]

ए. श्री. शशि कुमार, अवर सचिव

New Delhi, the 21st January, 1999

G.S.R. 33.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Data Entry Operator Grade 'C' in the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Industry :—

namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Department of Industrial Policy and Promotion Data Entry Operator Grade 'C', Recruitment Rules, 1999.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number, classification and scale of pay.—The number of post, its classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications etc.—The method of recruitment to the said posts age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 14 of the Schedule aforesaid.

4. Disqualification—No person;

(a) Who have entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the post.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall effect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

| Name of the Post | Number of posts | Classification | Scale of pay |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Data Entry Operator Grade 'C' | *02 (Two)<br>1999<br>*Subject to variation depending upon workload. | General Central Service, Group "C", Non-Gazetted, Non-Ministerial. | Rs. 5000-150-8000. |

| Whether selection-cum-seniority or selection by merit | Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Penison) Rules, 1972 | Age limit in the case of direct recruit |
|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 |
| Non selection | Not applicable | Not applicable |

| Educational and other qualifications required for direct recruits | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation if any | Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation absorption and percentage of the posts to be filled by various methods |
|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 |
| Not applicable | Not applicable | Not applicable | Promotion, failing which by deputation. |

| In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation absorption to be made | If a Departmental Promotion Committee exists, what is the composition | Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment |
|---|---|---|
| 12 | 13 | 14 |
| Promotion :<br>Data Entry Operator Grade 'B' with three years regular service in the grade.<br>Deputation :<br>(a) Officers of the Central Government.<br>(i) Holding analogous posts on regular basis, or<br>(ii) With three years regular service in posts in the scale of Rs. 4000-100-6000 (Revised).<br>(iii) With six years regular service in posts in the scale of Rs. 3050-4590. (Revised). | Group 'C' Departmental Promotion Committee :<br>Director (Administration)—Chairman<br>Under Secretary, Department of Industrial Policy & Promotion—Member<br>(Representing Schedule Caste/Schedule Tribes)<br>Under Secretary (Administration), Department of Heavy Industry—Member | Not applicable |

12

(b) Possessing Degree of a recognised University or equivalent and a speed of not less than 8000 Key Depressions per hour for Data Entry Work.

NOTE : The speed of 8000 Key Depressions per hour for Data Entry Work is to be judged by conducting a speed test on the EDP Machine(s) by the Competent Authority.

(The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.)

[No. A-12018(9)/98-E-II]

A.V. SASI KUMAR, Under Secy.

## शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 1999

सा.का.नि. 34.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शहरी विकास मंत्रालय उप-सलाहकार (प्रशिक्षण) भर्ती नियम, 1985 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम शहरी विकास मंत्रालय उप-सलाहकार (प्रशिक्षण) भर्ती (संशोधन) नियम, 1998 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. शहरी विकास मंत्रालय, उप-सलाहकार (प्रशिक्षण) भर्ती निय 1985 में, —

(क) "शहरी विकास मंत्रालय" शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, "शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय" शब्द रखे जाएंगे।

(ख) अनुसूची में, —

(i) "प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण" शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, "प्रतिनियुक्ति" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) स्तंभ 4 में की प्रविष्टि "3700-125-4700-150-5000 रु." के स्थान पर "12000-375-16500 रु." प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) स्तंभ II में "(II) जिन्होंने 3000-4500 रु के वेतनमान वाले पदों या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 5 वर्ष सेवा की है ; और" कोष्ठकों, शब्दों और अंकों के स्थान पर "(II) जिन्होंने रु. 10,000-325-15,200 रु. के वेतनमान या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 5 वर्ष सेवा की है ; और" शब्द रखे जाएंगे।

[सं० ए-12011/1/98-प्रशा-I]

के. के. गुप्ता, अवर सचिव

पाद टिप्पण—मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 625 तारीख 1-6-85 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् अधिसूचना सं. सा.का.नि. 912 तारीख 5-12-1987 द्वारा संशोधित किए गए।

## MINISTRY OF URBAN AFFAIRS & EMPLOYMENT

New Delhi, the 13th January, 1999

G.S.R. 34.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Ministry of Urban Development, Deputy Adviser (Training) Recruitment Rules, 1985, namely:

1 (1) These rules may be called the Ministry of Urban Development, Deputy Adviser (Training) Recruitment (Amendment) Rules, 1998.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Urban Development, Deputy Adviser (Training) Recruitment Rules, 1955 :—

(a) for the words "Ministry of Urban Development" wherever they occur, the words "Ministry of Urban Affairs and Employment", shall be substituted;